

1	2	3	4	5	6	7
मिर्जापुर	दुधवा	दुधवा	पाखरा	2357	वी० बि० बि०	
				2359	0 4 10	
				2360	0 1 0	
				2362	0 3 0	
				2364	0 2 0	
				2365	0 3 0	
				2366	0 19 0	
				2367	0 6 0	
				2728	2 2 10	
				2729	18 19 10	
					15 11 0	
				योग	103 11 10	
					या	
					64.47 एकड़	
					या	
					26.045 है०	

25 जनवरी, 1979 ई०

सं० 8109/चावह-2--503,77—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम सं० 16, 1927) की धारा 29 के अधीन शक्ति का और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्य से रेलवे के दोनों तरफ के सरकारी वन या बंजर भूमि की पट्टियों को, चाहे उन पर वृक्ष लगे हों या नहीं, संरक्षित वन घोषित करते हैं तथा उन पर उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और धारा 68 के उपबन्ध लागू होंगे :

पट्टी का नाम	विवरण और स्थिति
रेलवे	अनुसूची
	प्रबन्ध के लिये वन विभाग को अन्तर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के निम्नलिखित सेक्शन के रेलवे ट्रैक और स्टेशन यार्ड से लगी हुई भूमि

इज्जतनगर मण्डल—

- 1—रावतपुर से फरखवाबाद
- 2—फरखवाबाद से कासगंज
- 3—कासगंज से अछतरा
- 4—कासगंज जंक्शन से बरेली
- 5—बरेली जंक्शन से काठगोदाम
- 6—भोजीपुरा से मैलानी
- 7—पीलीभीत से बनकपुर
- 8—सथुरा जंक्शन से बृन्दावन
- 9—पीलीभीत से शाहजहांपुर
- 10—सहजानगर से फरगंज
- 11—मुराबाबाद से काशीपुर
- 12—काशीपुर से रामनगर
- 13—लालकुआं से काशीपुर
- 14—सन्धना से ब्रह्मवर्त
- 15—इज्जतनगर से सहमतगंज
- 16—इज्जतनगर से कलहसकगंज

लखनऊ मण्डल—

- 1—गोरखपुर छावनी से गान्डा
- 2—गान्डा से लखनऊ जंक्शन

- 3—लखनऊ जंक्शन से रावतपुर
- 4—मैलानी से डालीगंज
- 5—गोरखपुर से गान्डा (लूप)
- 6—मनकापुर से कटरा
- 7—गान्डा से मैलानी
- 8—आनन्द नगर से नौतनवा
- 9—बुरहवल से सीतापुर
- 10—गनसारी से जखा
- 11—नानपारा से नेपालगंज रोड
- 12—दुदवा से गौरीफन्दा
- 13—दुदवा से चन्दन चौकी
- 14—सीतापुर से थामसनगंज

वाराणसी मण्डल—

- 1—भटनी से गोरखपुर छावनी
- 2—भटनी से वाराणसी
- 3—वाराणसी से इलाहाबाद सीटी
- 4—भटनी से बनकटा
- 5—गोरखपुर छावनी से तिनफेरिया हाल्ट (लूप)
- 6—ओरिहार जंक्शन से बकुल्हा
- 7—छितीनी से कप्तानगंज
- 8—सलेमपुर से बरहजवाजार
- 9—इन्दारा से दोहरीघाट
- 10—फेफना से इन्दारा
- 11—धऊ जंक्शन से शाहगंज
- 12—ओरिहार से जोतपुर
- 13—माधोसह से चील्हा

Photocopy attached

28/9/79

प्रमाणित निदेशक

सामाजिक दायित्व प्रसार

8/1/79

आज्ञा से,
एन० पी० त्रिपाठी,
सचिव ।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 8109/XIV-2-503-77, dated January 25, 1979 for general information :
No. 8109/XIV-2-503-77
January 25, 1979

In exercise of the powers under section of the Indian Forest Act, 1927 (Act no. XVI 1927) and all other powers enabling him

(विश्वजीत राय)

सं. मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडी)

21 51

१	२	३	४	५	६	७	८	९
५०	खसरा नम्बर ६० के पश्चिम- दक्षिण कोन पर	उ०पू०	२०.००	२००.००	२	८०	सीधी रेखा	
५१	खसरा नम्बर ६० के पश्चिमी- मेंड पर	उ०पू०	११.३०	१११.३०	२	००	"	
५२	खसरा नं० ६० के पश्चिमी मेंड पर	उ०पू०	२०.३०	२००.३०	१	००	"	
५३	खसरा नम्बर ६० के पश्चिम- उत्तर कोन पर	पू०द०	१८.३०	२७८.३०	१	००	"	

२४ फरवरी, १९७२ ई०

सं० १९३/१४-ख-२०(५)-७२-विज्ञप्ति संख्या २३(२) ४ बी/१४-ख-६७, दिनांक २९ अप्रैल, १९६७ द्वारा अधोलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को, इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) के अधीन रक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था;

और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त ऐक्ट के द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है;

और, ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं;

अतएव, अब उक्त ऐक्ट की धारा २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल दिनांक १५ अगस्त, १९७२ से उक्त भूमि को रक्षित वन घोषित करते हैं।

अनुसूची 'क'

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा प्लॉट नम्बर	लगभग क्षेत्रफल एकड़ में	सीमायें
१	२	३	४	५	६	७
आजमगढ़	सदर	निजामाबाद	सेहवा	४८९	१०.०६२	जैसा कि सीमा चित्रण में दिया गया है।
				४९१	५.०२०	
				४९२	०.७८०	
				५२१	८.८२७	
				५०४	०.४००	
				५४१	३.८७१	
				६	२८.९६०	

ग्राम सेहवा की सीमा का विस्तृत वर्णन

मुनारा की संख्या	स्थिति मुनारा	दूसरे मुनारे तक निकटतम दिशा	दूसरे मुनारे तक लगभग वर्णन		लगभग दूरी दूसरे मुनारे तक		सीमा का प्रकार दूसरे मुनारे तक	अन्य विवरण
			अग्रिम	पार्श्व	चेन	लिंग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	खसरा नम्बर ५२६ के दक्षिण पूर्व कोन पर	द० प०	२०७.००	२११.००	०	८०	सीधी रेखा	
२	खसरा नम्बर ५२७ के पश्चिम दक्षिण कोन पर	पू० द०	१४१.००	३२१.००	१	८०	"	
३	खसरा नम्बर ५२७ के दक्षिण पूर्व कोन पर	द० प०	२१२.३०	३४१.३०	०	४०	"	

क्रमशः

३-००

(विश्वजित राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
रत्न प्रदेश एकलौतरेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडी)